11/12/2025	पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/12/2025 को पेश हो।
19/12/2025	पत्रा. पेश हुई। बकु. 34-1 दावा वादीगण ~~सिद्ध~~ द्वारा सिद्ध न किये जाने के कारण खारिज किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उ0 मोती बनाम घनश्याम बगै0

दावा बाबत् 88,89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 121/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत् वादी द्वारा सिद्ध नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

बैज – मुबलिग ——— बावत ——— खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ——— की अदा करें ।

ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 19/12/25 को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

1. मोती पुत्र कमल जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर) —वादी

बनाम

1. घनश्याम (मृतक)
   1/1 अनारदेई वेवा घनश्याम जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
   1/2 वीरी पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
   1/3 बबलू पुत्र घनश्याम (मृतक)
   1/3/1 कृष्णा पि0 बबलू नाबालिगान व विलायत माता खुद बबली वेवा बबलू जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई।
   1/4 गुड्डी पुत्री घनश्याम पत्नि श्याम जाति जाट निवासी ग्राम गामडी जिला अलीगढ।
   1/5 पप्पी पुत्री घनश्याम जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
   1/6 शशी पुत्री घनश्याम जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
2. नानगा पुत्र हरीलाल जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
3. हरदयाल पुत्र हरीलाल जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
4. दीवानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
5. रामू पत्नि रामचरन जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
7. सब रजिस्टार नदबई
8. एसबीबीजे बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा नदबई

—असल प्रतिवादीगण

9. निर्भय पुत्र कमल जाति जाट निवासी मांझी तह0 नदबई।

—तरतीवी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 121/2015
जीसीएमएस न. 2023/00053
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 19/12/25

1. मोती पुत्र कमल जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)

—वादी

बनाम

1. घनश्याम (मृतक)
   1/1 अनारदेई वेवा घनश्याम जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
   1/2 वीरी पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
   1/3 बबलू पुत्र घनश्याम (मृतक)
   1/3/1 कृष्णा पि0 बबलू नाबालिगान व विलायत माता खुद बबली वेवा बबलू जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई।
   1/4 गुडडी पुत्री घनश्याम पत्नि श्याम जाति जाट निवासी ग्राम गामडी जिला अलीगढ।
   1/5 पप्पी पुत्री घनश्याम जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
   1/6 शशी पुत्री घनश्याम जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
2. नानगा पुत्र हरीलाल जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
3. हरदयाल पुत्र हरीलाल जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
4. दीवानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
5. रामू पत्नि रामचरन जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई (भरतपुर)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
7. सब रजिस्टार नदबई
8. एसबीबीजे बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा नदबई

—असल प्रतिवादीगण

9. निर्भय पुत्र कमल जाति जाट निवासी मांझी तह0 नदबई।

—तरतीवी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

उपस्थित श्री रघुवीरशरण गुप्ता एड.(वादीगण)

श्री बृजेश कुमार शर्मा एड .(प्रतिवादीगण)

:: निर्णय ::दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि विवादित आराजी हाल खसरा नं. 388 रकवा 0.52, 389 रकवा 0.47, 559 रकवा 0.20, 735 रकवा 0.59, 736 रकवा 1.02, 765 रकवा 0.40, 766 रकवा 0.60, 1505 रकवा 0.60, 1506 रकवा 0.59, 739 रकवा 0.45, किता रकवा 5.44 है. वाके ग्राम मांझी तहसील नदबई में स्थित है।
2. यह है कि विवादित आराजी के हाल खसरा नं. 388, 389, 559, 735, 736, 765, 766, 1505, 1506, 739, किता 10 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 के अनुसार साविक खसरा नं. क्रमशः 293, 288, 295, 454, 455, 479, 479, 1024, 1024, 453 से बने हैं तथा साबिक खसरा नं. 293, 288, 295, 454, 455, 479, 1024, 453 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 के अनुसार साविक खसरा नं. 293 के 364 रकवा 1 बीघा 9 बिस्वा 365 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा तथ 288 के खसरा नं. 364 रकवा 1 बीघा 10 बिस्वा 365 रकवा 1 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नं. 295 के खसरा नं. 368 रकवा 0.05, 388 रकवा 1.12 तथा खसरा नं. 454 के खसरा नं. 199 रकवा 0.1, 208 रकवा 3 बीघा 2 बिस्वा 209 रकवा 0.11 तथा खसरा नं. 456 के खसरा नं. 197 रकवा 0.7, 199 रकवा 0.18, 200 रकवा 4.3, 208 रकवा 0.18 तथा खसरा नं. 479 का खसरा नं. 265 रकवा 6.05 तथा खसरा नं. 1024 का खसरा नं. 275 रकवा 7.07 तथा खसरा नं. 453 से खसरा नं. 209 रकवा 2 बीघा 16 बिस्वा से बना है।
3. यह है कि वादी व प्रतिवादी तरतीवी संख्या 9 तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 एक ही वंसज की संतान हैं। जो वादपत्र में संलग्न वंसावली से स्पष्ट है।
4. यह है कि विवादित आराजी जो कि मद संख्या 2 में वर्णित है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 के बाबा एवं प्रतिवादी सं. 4 के पिता के बाबा भवानी की मिलकियत एवं खुदकाश्त की आराजी है। परन्तु वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 के पिता कमल पहरवानी करते थे। तथा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के पिता पढे–लिखे थे तथा कृषि की उपज का हिसाब–किताब हरीलाल रखते थे तथा वादी व तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 एवं उनके पिता एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार में रहते थे तथा विवादित आराजी भी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 की हिन्दु संयुक्त परिवार की अविभाजित संयुक्त आराजी है। तथा सभी संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे थे। परन्तु विवादित आराजी में से खसरा नं. 765, 766, 1505, 1506, 739, 736, के साबिक खसरा नं. 208, 209, 265, 275, 200 एवं 208 पर नकल जमांबंदी संवत 2010 लगायत 2013 के अनुसार कॉलम सं. 4 मिलकियत के खाने में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

रजिस्टर

के बाबा भवानी का नाम अंकित है। परन्तु कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त हरीलाल की गलत अंकित हो गई थी। जबकि मौके पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 के पिता कमल एवं प्रतिवादीगण के पिता हरीलाल संयुक्त रूप से वाहिस्सा बराबर काश्त करते चले आ रहे थे। इसी कारण से नकल जमांबंदी संवत 2014 लगायत 2017 में उक्त आराजीयात पर कानून के विरूद्ध गलत तरीके से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिता हरीलाल की खातेदारी दर्ज कर ली गई जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज भवानी की संतान हैं। तथा नकल जमांबंदी संवत 2010 लगायत 2013 की मिलकियत का इन्द्राजात कॉलम संख्या 4 में अंकित पूर्वज भवानी का अंकन है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के पिता हरीलाल का कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त का इन्द्राजात होने से वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 के पिता कमल का हक समाप्त नहीं होता तथा उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण के पिता हरीलाल के साथ ही वादीगण तथा तरतीवी प्रतिवादीगण सं. 9 के पिता कमल का वाहिस्सा बराबर माना जायेगा वैसे मौके पर उक्त आराजीयात पर हरीलाल व कमल संयुक्त रूप से वाहिस्सा बराबर काबिज थे। इस सिद्धांत राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में अपने कई निर्णयों में प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार विवादित आराजी के साबिक खसरा नं. 364, 365, 398, 197, 199 पर खुदकाश्त कॉलम सं. 5 में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के बाबा भवानी की दर्ज है। परन्तु उक्त आराजीयात पर भी प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के पिता हरीलाल की गलत तरीके से खातेदारी दर्ज हो गई। जबकि धारा 15 आरटीए क अनुसार वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 के पिता कमल एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 के पिता हरीलाल बाहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज होनी चाहिये जबकि मौके पर वर्तमान में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 निस्ब हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 संयुक्त निस्ब हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार से विवादित आराजी जो मद संख्या 2 में वर्णित है पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 संयुक्त का निस्ब हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 का संयुक्त निस्ब हिस्से पर हक होता है इसी अनुरूप काबिज चले आ रहे हैं परन्तु विवादित आराजी में से खसरा नं. 739, 765, 766, 1506 किता 4 रकवा 2.04 है. का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 ने प्रतिवादी स. 5 को विक्रय कर दिया है। तथा रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 5 की खातेदारी अंकित हो रही है जबकि उक्त विवादित आराजी में उक्त विवेचन से प्रतिवादी सं. 4 का उक्त आराजीयात पर 1/8 हिस्से पर हक होता है। तथा वक्त बयनामा वह 1/8 हिस्से पर ही काबिज था इसलिए प्रतिवादी सं. 4 उक्त आराजी में 1/8 हिस्से से अधिक विकृय करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 द्वारा प्रतिवादी सं. 5 के हक में किये गये विकृय पत्र को 1/8 हिस्से पर अपने विरूद्ध प्रभावहीन करा पाने का अधिकारी है। तथा रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 5 का 1/4 के स्थान पर 1/8 हिस्से पर खातेदारी दर्ज करा पाने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 जो विवादित आराजी वाद पत्र की सं. 2 में अंकित है अपने आप को निस्ब हिस्से पर खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं। तथा रिकॉर्ड में

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के इन्द्राजात को कलमजन कराकर इसी अनुरूप खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं।

अतः प्रार्थना है कि दावा बा हक वादी एवं खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह है कि विवादित आराजी जो वादपत्र की मद सं. 2 में अंकित है, पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 संयुक्त को निस्ब हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम हो रहे वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन करके 1/2 हिस्से पर इसी अनुरूप वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 की खातेदारी अंकित की जावे। तथा विवादित आराजी में से खसरा नं. 739, 765, 766, 1506 किता 4 रकवा 2.04 है. पर प्रतिवादी सं. 5 का 1/4 के स्थान पर 1/8 खातेदारी अंकित की जावे तथा 1/8 हिस्से पर प्रतिवादी सं. 4 की खातेदारी अंकित की जावे तथा विकृय पत्र जो प्रतिवादी सं. 4 ने 5 के हक में कराया है 1/8 हिस्सा पर वादी के विरूद्ध प्रभावही घोषित किया जावे।

(ब) यह है कि प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई डिक्री से पावंद किया जावे कि वे वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 की आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर श्री बृजेश कुमार एडवो0 द्वारा उपस्थित होकर जबावदावा पेश किया गया। शेष के विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जबावदावा जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह है कि विवादित आराजी का मिलान क्षेत्रफल नहीं है एवं वादपत्र में अंकित पारिवारिक सजरा पूर्ण नहीं है।
2. यह है कि मद संख्या 06 काबिल स्वीकार नहीं है। वक्त फोर्स में आने से आरटीए जबावदेहन्दा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के बाबा स्व0 भवानी सिंह राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज हुए थे। जिसमें वादी का कोई संबंध सरोकार किसी प्रकार का कभी नहीं रहा है। वह स्व0 भवानी सिंह की स्व अर्जित खुद काश्त की दर्ज आराजी रही है और यही वजह साबिक जमाबंदी संवत 2010 से 2013 के कॉलम संख्या 5 में उनका नाम दर्ज किया गया था जिस पर प्रतिवादीगण विरासतन काबिज है और निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विधिमान्य सिद्धान्त है कि राजस्व इन्द्राजात को झुठलाया नहीं जा सकता है। माननीय राजस्व मण्डल और उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रविष्टियां अधिकारों की चश्मदीद होती है। उनकों किसी प्रकार नकारा जाना बेईमानी है। अतः वादी का वादपत्र काबिल खारिजी के है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत जबाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1. आया वादी वर्तमान रिकॉर्ड कलमजन कर विवादित आराजी में वादी एवं तर0 प्रतिवादी संख्या 9 संयुक्त खातेदारी पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

2\. विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 4 ने 5 को कराया है । प्रभावहीन करा पाने के अधिकारी है। –जिम्मे वादीगण

3\. आया वादी प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी है –जिम्मे वादीगण।

4\. आया प्रतिवादी कॉलम संख्या 5 में विरासतन काबिज है तथा खातेदार है। अतः दावा काबिल खारिजी के है। –जिम्मे वादीगण।

–जिम्मे प्रतिवादीगण।

5\. दीगर दादरसी।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2068–2071 खाता संख्या 43 वाके ग्राम मांझी (प्रदर्श–1 व 2), प्रमाणित प्रतिलिपि नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम मांझी (प्रदर्श–3 व 4), प्रमाणित प्रतिलिपि नकल जमाबंदी संवत 2010 लगायत 2013 वाके ग्राम मांझी (प्रदर्श–6 लगायत 11), प्रमाणित प्रतिलिपि नकल जमाबंदी संवत 2014 लगायत 2017 वाके ग्राम मांझी (प्रदर्श–12), प्रमाणित प्रतिलिपि नकल जमाबंदी संवत 2021 लगायत 2024 वाके ग्राम मांझी (प्रदर्श–13), नकल जमाबंदी संवत 2028 (प्रदर्श–14), नकल जमाबंदी संवत 2035 से 2038 वाके ग्राम मांझी (प्रदर्श–15), नकल जमाबंदी संवत 2014 से 2017 (प्रदर्श–16) पेश किये गये एवं मौखिक बयान के रूप में शपथ पत्र मोती पुत्र कमल जाति जाट निवासी मांझी एवं श्यामवीर पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट निवासी मांझी एवं प्रतिवादी वकील की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में हरदयाल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी मांझी व वीरी पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी मांझी रामवीर के पेश किये गये।

हमने वादी वकील की ओर से बहस सुनी गई। वादी वकील की ओर से वादपत्र में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराया गया है। वादी वकील का कहना है कि विवादित आराजी हाल खसरा नं. 388 रकवा 0.52, 389 रकवा 0.47, 559 रकवा 0.20, 735 रकवा 0.59, 736 रकवा 1.02, 765 रकवा 0.40, 766 रकवा 0.60, 1505 रकवा 0.60, 1506 रकवा 0.59, 739 रकवा 0.45, किता रकवा 5.44 है. वाके ग्राम मांझी तहसील नदबई में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 के बाबा एवं प्रतिवादी सं. 4 के पिता के बाबा भवानी की मिलकियत एवं खुदकाश्त की आराजी है। परन्तु वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 के पिता कमल पहरवानी करते थे। तथा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के पिता पढे–लिखे थे तथा कृषि की उपज का हिसाब–किताब हरीलाल रखते थे तथा वादी व तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 एवं उनके पिता एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार में रहते थे तथा विवादित आराजी भी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 की हिन्दु संयुक्त परिवार की अविभाजित संयुक्त आराजी है। तथा सभी संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे थे। परन्तु विवादित आराजी में से खसरा नं. 765, 766, 1505, 1506, 739, 736, के साबिक खसरा

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

नं. 208, 209, 265, 275, 200 एवं 208 पर नकल जमांबंदी संवत 2010 लगायत 2013 के अनुसार कॉलम सं. 4 मिलकियत के खाने में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के बाबा भवानी का नाम अंकित है। परन्तु कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त हरीलाल की गलत अंकित हो गई थी। जबकि मौके पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 के पिता कमल एवं प्रतिवादीगण के पिता हरीलाल संयुक्त रूप से वाहिस्सा बराबर काश्त करते चले आ रहे थे। विवादित आराजी में से खसरा नं. 739, 765, 766, 1506 किता 4 रकवा 2.04 है. का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 ने प्रतिवादी स. 5 को विक्रय कर दिया है। तथा रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 5 की खातेदारी अंकित हो रही है जबकि उक्त विवादित आराजी में उक्त विवेचन से प्रतिवादी सं. 4 का उक्त आराजीयात पर 1/8 हिस्से पर हक होता है। तथा वक्त बयनामा वह 1/8 हिस्से पर ही काबिज था इसलिए प्रतिवादी सं. 4 उक्त आराजी में 1/8 हिस्से से अधिक विकृय करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 द्वारा प्रतिवादी सं. 5 के हक में किये गये विकृय पत्र को 1/8 हिस्से पर अपने विरूद्ध प्रभावहीन करा पाने का अधिकारी है। तथा रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 5 का 1/4 के स्थान पर 1/8 हिस्से पर खातेदारी दर्ज करा पाने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 9 जो विवादित आराजी वाद पत्र की सं. 2 में अंकित है अपने आप को निस्ब हिस्से पर खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं। तथा रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के इन्द्राजात को कलमजन कराकर इसी अनुरूप खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं।

प्रतिवादी वकील की ओर से जबावदावा में अंकित तथ्यों को ही पुनः दोहराया गया है प्रतिवादी वकील के कथन रहे कि विवादित आराजी हाल खसरा नं. 388 रकवा 0.52, 389 रकवा 0.47, 559 रकवा 0.20, 735 रकवा 0.59, 736 रकवा 1.02, 765 रकवा 0.40, 766 रकवा 0. 60, 1505 रकवा 0.60, 1506 रकवा 0.59, 739 रकवा 0.45, किता रकवा 5.44 है. वाके ग्राम मांझी तहसील नदबई हरीलाल की स्वअर्जित व खुदकाश्त की आराजी है। जिस पर प्रतिवादीगण विरासतन काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के बाबा स्व0 भवानी सिंह राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज हुए थे। जिसमें वादी का कोई संबंध सरोकार किसी प्रकार का कभी नहीं रहा है। वह स्व0 भवानी सिंह की स्व अर्जित खुद काश्त की दर्ज आराजी रही है और यही वजह साबिक जमाबंदी संवत 2010 से 2013 के कॉलम संख्या 5 में उनका नाम दर्ज किया गया था जिस पर प्रतिवादीगण विरासतन काबिज है और निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षकारान की बहस को सुना, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया एवं तनकी के आधार पर निर्णय इस प्रकार है–

1. आया वादी वर्तमान रिकॉर्ड कलमजन कर विवादित आराजी में वादी एवं तर0 प्रतिवादी संख्या 9 संयुक्त खातेदारी पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

वादीगण का है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2068–2071 में वाके मांझी पर विवादित आराजीयात में उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2014–2017 में विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण हरीलाल बल्द भवानी कौम जाट साकिन देह के नाम खातेदारी अंकित हो रही है। यानि कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता हरीलाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2011 लगायत 2014 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड का अंकन है तथा नकल जमाबंदी संवत 2028 में भी विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं नकल जमाबंदी संवत 2035–2038 में भी प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है तथा नकल मिलान क्षेत्रफल 2060 एवं 2028 अनुसार गत एवं हाल खसरा नम्बरान का मिलान हो रहा है तथा नकल जमाबंदी संवत 2010 लगायत 2013 में मनसुखा बल्द घमण्डी कौम जाट साकिन बरवारा गैर मोरोसी वकास्त साल 17 हरी लाल पुत्र भामिया कॉम जाट साकिन देह शिकमी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा अन्य जमाबंदी संवत 2010 से 2013 में भी हरीलाल बल्द भवानी कौम जाट साकिन देह गैर मोरूसी साल 1 दर्ज रिकॉर्ड का अंकन है एवं जमाबंदी संवत 2010 की अन्य जमाबंदी भी पेश की गई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता हरीलाल के नाम आराजीयात दर्ज रिकॉर्ड रही है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात संवत 2010 से ही प्रतिवादीगण के पिता हरीलाल एवं उनके फौत होने के उपरांत प्रतिवादीगण के नाम आराजीयात बदस्तूर चली आ रही है। उक्त आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम फोर्स में आने के तहत आराजी प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहे है। इसके अलावा वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार का कब्जे काश्त के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये जिससे साबित हो सके कि उक्त आराजीयात वादीगण के कब्जेकाश्त में रही हो। उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात न होकर प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

2. विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 4 ने 5 को कराया है । प्रभावहीन करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। तनकी संख्या 1 के निर्णय अनुसार विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम बदस्तूर रही है तथा रिकॉर्डेड खातेदार रहे है। एक रिकॉर्डेड खातेदार को आराजी विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

3. आया वादी प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई की डिकी से पाबंद करा पाने के अधिकारी है उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। चूंकि वादी उक्त विवादित आराजीयात पर रिकॉर्डेड खातेदार न होकर प्रतिवादीगण की आराजीयात है। अतः वादी प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई की डिकी से पाबंद करा पाने के अधिकारी नहीं है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

4. आया प्रतिवादी कॉलम संख्या 5 में विरासतन काबिज है तथा खातेदार है। अतः दावा काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2011–2014 में कॉलम संख्या 5 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम आराजीयात दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम बदस्तूर चली आ रही है। उक्त तनकी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पैतृक न होकर स्वअर्जित आराजी है । वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः आदेश है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत् सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/2/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते